

संख्या : डी-26016/28/2017-18/सामान्य

दिनांक: 16.03.2017

प्रति

विषय: कार्यालय में वाटर कूलर एवं एयर कंडीशनर के वार्षिक रख रखाव अनुबंध हेतु E-Procurement CPP पोर्टल के माध्यम से निविदा आमंत्रित करने के संबंध में।

महोदय,

इस कार्यालय में प्रयोग हो रहे ए.सी, वाटर कूलर एवं स्टेबलाइजर आदि (सूची संलग्न) की रिपेयर एवं रखरखाव के लिए वार्षिक अनुबंध हेतु संलग्न नियम एवं शर्तों के आधार पर पुनः निविदाएँ CPP पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक एजेंसी/पार्टियों से अनुरोध है कि वे अपनी दरें दिनांक 29.03.2017 दोपहर 12:00 बजे तक भिजवाने की व्यवस्था करें। प्राप्त निविदाएँ अगले दिन दिनांक 30.03.2017 साँय 2:30 बजे समिति द्वारा खोली जाएगी। निविदा को कार्यालय कि वेबसाइट www.handicrafts.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

भवदीय,



(रमेश चन्द्र)

सहायक निदेशक (सामान्य)

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

T. 1.D. - 2017-DEHC-186846-1

एयर कंडीशनर एवं वॉटर कूलर के वार्षिक रखरखाव अनुबंध हेतु नियम एवं शर्तें: -

1. एजेंसी द्वारा बिक्री कर विभाग से रजिस्ट्रेशन प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. नियमानुसार गत 2 वर्ष में पूरी की गई कर संबंधी औपचारिकताएं के संबंध में प्रमाण पत्र प्रदान करें।
3. केवल CPP पोर्टल के माध्यम से प्राप्त निविदाएँ ही मान्य होंगी।
4. निविदा दो बिड सिस्टम के अंतर्गत तकनीकी एवं फाइनेंशियल अलग अलग प्रस्तुत की जाए।
5. निविदा के साथ पैन नंबर/टिन नंबर की प्रति प्रस्तुत करें।
6. शासकीय विभाग में पिछले तीन वर्षों के अनुबंध संबंधी विवरण की जानकारी की प्रति प्रस्तुत करें।
7. अनुबंध की अवधि में फर्म कार्य करने के लिए बाध्य होगी।
8. उपकरणों की देखरेख के लिए सभी कार्य दिवसों में प्रातः 9:30 बजे से साँय 6:00 बजे तक एक मकेनिक/इंजीनियर कार्यालय में उपस्थित कराना होगा। आवश्यकता पड़ने पर मकेनिक को अवकाश के दिन भी बुलाया जा सकता है। मकेनिक/इंजीनियर का डिप्लोमा/डिग्री आदि की प्रति प्रस्तुत करें अन्यथा निविदा रद्द कर दी जाएगी।
9. रिपेयर के दौरान उपकरण में लगने वाले पार्ट/तार आदि आई एस आई मार्क तथा प्रतिष्ठित कंपनी के होने चाहिए तथा निकाले गए पार्ट कार्यालय में जमा करवाने होंगे।
10. क्रमांक 1 की सभी मदों के रखरखाव के लिए पार्ट्स/गैस, तार एवं मजदूरी आदि के लिए अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा।
11. क्रमांक 2 पर अंकित मदों की इन्स्टोलेशन के लिए मजदूरी का अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा।
12. निम्न दर अथवा किसी भी दर को निरस्त करने तथा नियम एवं शर्तों में संशोधन करने का अधिकार कार्यालय के सक्षम अधिकारी को होगा।
13. निविदा के साथ Accounts Officer (Hqrs.) O/O the Development Commissioner (Handicrafts), New Delhi के नाम पर 10000/- का डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी/ बैंक चेक की प्रति प्रस्तुत करें तथा डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी/बैंक चेक फिजिकल रूप में on or before 29.03.2017 को दोपहर 12:00 बजे तक कार्यालय में जमा कराएं अन्यथा इसके बिना निविदा रद्द मानी जाएगी।
14. जिस फर्म की दरें अनुबंध हेतु स्वीकृत होंगी, उसे 5 दिन के अंदर लेखा अधिकारी मुख्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, नई दिल्ली के नाम पर फोर्मेस सिक्योरिटी हेतु 20,000/- रुपये की एक वर्ष के लिए डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी/बैंक चेक कार्यालय में पहले जमा करानी होगी।
15. अनुबंध स्वीकृत हो जाने के दौरान कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर बिना नोटिस के अनुबंध रद्द किया जा सकता है।
16. किसी विवाद के लिए मामलों का दिल्ली न्यायालय में निपटान किया जाएगा।



एयर कंडीशनर एवं वाटर कूलर के वार्षिक रखरखाव की सूची पार्ट्स सहित: -

क्रम संख्या	भद का नाम	रेट्स प्रति यूनिट
1	रिपेयर एवं रखरखाव के लिए दर	
(क)	विंडो ए सी एक टन	
(ख)	विंडो ए सी डेड टन	
(ग)	विंडो ए सी दो टन	
(घ)	स्पिलट ए सी डेड टन	
(ड)	स्पिलट ए सी दो टन	
(च)	वाटर कूलर 150 X 150	
(छ)	स्टेबलाइजर 3,4,5 के वी की दरें	
2	आवश्यकता के आधार पर एसी इंसटोलेशन की दर	
(क)	विंडो ए सी इन्स्टोलेशन की दर एक, डेड, दो टन	
(ख)	स्पिलट ए सी इन्स्टोलेशन की दर एक, डेड, दो टन	
3	इन्स्टोलेशन के लिए प्रयोग किए जाने वाले सामान की दर	
(क)	पीवीसी पाइप 5/8, 1/2/3/8, 1/4 प्रति मीटर	
(ख)	कॉपर पाइप 5/8, 1/2/3/8, 1/4 प्रति मीटर	
(ग)	वायर 3 क्वायर प्रति मीटर	
(घ)	ड्रेन पाइप प्रति मीटर	
(ड)	गैस की दर प्रति ए सी	
4	मकेनिक/इलेक्ट्रिशियन का माह का वेज (सेवा कर सहित)	

नोट: - टैक्स/सर्विस टैक्स आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए।



एयर कंडीशनर एवं वॉटर कूलर का विवरण :-

क्रमांक	मदों का विवरण	मदों की संख्या
1.	स्पलट ए सी डेड टन	19
2.	स्पलट ए सी दो टन	13
3.	विंडो ए सी डेड टन	6
4.	विंडो ए सी दो टन	10
5.	स्टेबलाइजर 3,4,5 के वी की दरें	34
6.	वाटर कूलर	3

dy